उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

रिट याचिका (एम.एस) 2399 / 2021

प्रदीप कुमार धीमान .....याचिकाकर्ता

–प्रति–

ए. के. चक्रवर्ती .....प्रत्यर्थी

सुनवाई और आदेश की तिथि : 17.11.2021

उपस्थित अधिवक्ता :–

अपीलार्थी के लिए : श्री नरेंद्र बाली, विद्वान अधिवक्ता
याचिकाकर्ता के लिए
उत्तरदाताओं के लिए :

श्री एस. के. मिश्रा, जे.

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र बल्ली को सुना।

2. इस मामले में, विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार के समवर्ती निष्कर्ष को पुनरीक्षण प्राधिकारी होने के कारण केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर चुनौती दी गई है। यह निवेदित किया गया है कि प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 16 सपठित धारा 5 के अनुसार, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (जु.डि.) को उक्त निर्णय लेने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी निवेदित किया है कि मूल रूप से मामला लघुवाद न्यायालय के समक्ष था, लेकिन एक प्रशासनिक आदेश द्वारा, इसे विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (जु.डि.) की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद, उन्होंने विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (जु.डि.) के क्षेत्राधिकार को चुनौती दिए बिना कार्यवाही में भाग लिया। केवल पुनरीक्षण न्यायालय में, यह पहलू उठाया गया है, लेकिन विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया है और पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय को सहमत करने में विफल रहे। पुनरीक्षण स्तर पर उन्होंने जो आपत्ति उठाई है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 21 के परिप्रेक्ष्य में तर्कसंगत नहीं है। उचित अभिमुल्यन के लिए, पूरी धारा को नीचे उद्धृत किया गया है –

> "**21. अधिकारिता के बारे में आक्षेप** – (1) वाद लाने के स्थान के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार

के न्यायालय में यथासम्भव सर्वप्रथम अवसर पर और उन सभी मामलों में, जिनमें विवाद्यक स्थिर किए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले न किया गया हो और जब तक कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो।

(2) किसी न्यायालय की अधिकारिता की धन–सम्बन्धी परिसीमा के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर और उन सभी मामलों में, जिनमें विवाद्यक स्थिर किए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले न किया गया हो और जब तक कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो।

(3) किसी निष्पादन–न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा आक्षेप निष्पादन न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर न किया गया हो और जब तक कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो।''

4. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा वाद लाने के स्थान या आर्थिक क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासम्भव सर्वप्रथम अवसर पर और उन सभी मामलों में जिनमें विवाद्यक स्थिर किए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले न किया गया हो और जब तक कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो। अब, इस मामले में, स्वीकृत रूप से् याचिकाकर्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई थी, जो विद्वान सिविल न्यायाधीश (जु.डि.) के समक्ष प्रत्यर्थी था, उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में सम्बंधित मुकदमा का परीक्षण करने के लिए। बल्कि याचिकाकर्ता ने मामले में भाग लेना जारी रखा और जब आदेश मूल कार्यवाही में उनके खिलाफ गया, तो उन्होंने क्षेत्राधिकार की कमी के साथ–साथ अन्य आधारों पर पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी। चूंकि याचिकाकर्ता सर्वप्रथम अवसर पर विद्वान अतिरिक्त सिविल जज (जु.डि.) की अदालत में मामले को स्थानांतरित करते समय क्षेत्राधिकार के इस मुद्दे को उठाने में विफल रहा है। इस न्यायालय की राय है कि पुनरीक्षण न्यायालय ने इस आवेदन को उचित रूप से खारिज किया है और

सिविल न्यायाधीश, जुनियर डिविजन के क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियों को सही नहीं ठहराया है।

5. मामले के दृष्टिकोण से, इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं कार्यवाही में भाग लिया और बाद में, मामले का बचाव करने में असफल होने पर, क्षेत्राधिकार की कमी का तर्क लिया। इसके अलावा, ऐसा कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं है कि इस मामले में क्षेत्राधिकार की कमी के कारण न्याय की विफलता हुई है, इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि इस रिट आवेदन में कोई योग्यता नहीं है।

6. इसलिए रिट आवेदन को नए स्वीकारोक्ति के स्तर पर आरम्भ में ही खारिज किया जाता है।

7. खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

8. उचित आवेदन पर इस आदेश की तत्काल प्रमाणित प्रति प्रदान की जाए।

(एस. के. मिश्रा)
जज